

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 ईसीआई/प्रे.नो./42/2017

दिनांक: 20 मई, 2017

प्रेस नोट

विषय: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम चुनौती।

1. भारत निर्वाचन आयोग को भारत में सत्यनिष्ठा के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में विश्व स्तर पर “स्वर्णमानक” के रूप में स्वीकार्यता प्राप्त है। इसने निर्वाचनों के अब तक के सबसे दक्ष, निर्बाध और व्यावसायिक संचालन के मानक स्थापित किए हैं और निर्वाचन प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने में नवीनतम तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने, उसे अंगीकार करने और कार्यान्वित करने में यह सर्वदा अग्रणीय रहा है।
2. आयोग ने उचित विधिक सहयोग द्वारा विधिवत रूप से समर्थित पूरे देश में पारदर्शी, विश्वसनीय और सुरक्षित रूप से मतों की रिकार्डिंग, भण्डारण और गणना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(ईवीएम) की शुरूआत की अग्रणीय पहल की है।
3. पिछले 20 वर्षों से, आयोग ने ईवीएम का प्रयोग करते हुए 03 लोक सभा निर्वाचन और 107 राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। मतदान प्रक्रिया में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सितम्बर, 2013 से वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपीएटी) मशीनों का भी प्रयोग किया गया है।
4. नब्बे के दशक में ईवीएम की शुरूआत आयोग द्वारा किया गया एक सकारात्मक निर्वाचकीय सुधार था। समय-समय पर और किसी-किसी क्वार्टर से ईवीएम की कार्यप्रणाली पर कुछ संदेह उठाए गए हैं।
5. मार्च, 2017 में पांच राज्यों(यू.पी., उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर) के विधान सभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के पश्चात ईवीएम की कार्यप्रणाली पर फिर से कुछ संदेह उठाए गए हैं। पांच राज्यों के विधान सभा निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के पश्चात आयोग में कुछ शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए थे। आयोग ने इन शिकायतों की विधिवत रूप से जांच की और उन दावों के समर्थन में साक्ष्यों और विश्वसनीय सामग्री सूचना की मांग की परंतु अब तक आयोग को शिकायतकर्ताओं द्वारा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
6. तेरह राजनैतिक दलों का एक समूह 10 अप्रैल, 2017 को आयोग को मिला और उन्होंने ईवीएम के प्रयोग के संबंध में कुछ संदेह व्यक्त किए। कुछ राजनैतिक दलों ने अप्रैल, 2017 के पहले सप्ताह में भिंड(मध्य प्रदेश) और धौलपुर(राजस्थान) में हुए उप-निर्वाचनों में प्रदर्शन(वास्तविक मतदान में नहीं) के दौरान दिनांक 31/03/2017 को प्रयोग किए गए वीवीपीएटी से संबंधित घटनाओं के बारे में प्रश्न उठाए।
7. राजनैतिक दलों की चिंता को समझते हुए आयोग ने दिनांक 12 मई, 2017 को एक सर्व-दलीय बैठक संचालित की। निम्नलिखित के संबंध में उसी दिन आयोग द्वारा एक प्रेस वक्तव्य भी जारी किया गया:
 - (i) आयोग ने सभी राजनैतिक दलों के समक्ष कहा कि आगामी सभी निर्वाचन अनिवार्य रूप से वीवीपीएटी मशीनों के साथ किए जाएंगे। आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि आगामी सभी निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों में ईवीएम सहित वीवीपीएटी का प्रयोग ईवीएम आधारित मतदान प्रणाली में अत्यधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाएगा। यह प्रत्येक मतदाता को वीवीपीएटी में यह देखने में सक्षम बनाता है कि क्या

उसका मत सही अभ्यर्थी को गया है। बैलेट यूनिट में बटन को दबाने के पश्चात संबंधित अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक वीवीपीएटी मशीन के स्क्रीन पर दिखाई देगा और नाम और प्रतीक दर्शाने वाली पेपर स्लिप वीवीपीएटी के साथ जुड़े हुए सीलबद्ध बक्से में गिर जाएगी। इन पर्चियों को मतदाता द्वारा ईवीएम में डाले गए मत के ऑडिट ट्रेल के रूप में माना जाएगा। ऑडिट ट्रेल मतदाताओं के भरोसे और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। ईवीएम सहित वीवीपीएटी का प्रयोग ईवीएम के संबंध में गलत रूप से सूचित सभी संदेहों और आशंकाओं को निश्चित रूप से समाप्त कर देगा। यह एक गर्व का विषय भी होगा कि **100%** वीवीपीएटी या पेपर ट्रेल का प्रयोग करके भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा, एक ऐसा अवयव जो कि नीदरलैंड, जर्मनी और आयरलैंड सहित बहुत से देशों में नहीं था।

100% परिनियोजन हेतु अपेक्षित वीवीपीएटी की खरीद के लिए निधियों की संस्वीकृति पहले ही प्राप्त हो चुकी है और इसका उत्पादन अगस्त, **2017** में आरंभ हो जाएगा, जिसे सितम्बर, **2018** तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

- (II) यह भी कहा गया था कि आयोग ने वीवीपीएटी पर्चियों की गणना के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया है। आयोग एक निश्चित प्रतिशत तक ही वीवीपीएटी पर्चियों की गणना करेगा, जिसका निर्धारण आयोग द्वारा ही किया जाएगा। आयोग इस संबंध में शीघ्र ही एक उचित रूपरेखा तैयार करेगा।
- (III) आयोग एक चुनौती रखेगा और सभी राजनैतिक दलों को यह प्रदर्शित करने का अवसर देगा कि हाल ही में सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचनों में प्रयुक्त ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी या यह कि ईसीआई के प्रशासनिक और निर्धारित तकनीकी सुरक्षापायों के अधीन भी ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है।
- (IV) आयोग ने सभी दलों से आग्रह किया कि वे निर्वाचनों के दौरान सभी महत्वपूर्ण घड़ियों में अपनी सतत और गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित करें यथा प्रथम स्तरीय जांच(एफएलसी), ईवीएम/वीवीपीएटी/ मतदान कार्मिकों के यादृच्छिकीकरण, ईवीएम तैयार करने और अभ्यर्थी सेटिंग, छद्म मतदान, ईवीएम सील करना और उसका भंडारण करना। आयोग ने राजनैतिक दलों से इस संबंध में कुछ और सुझाव आमंत्रित किए कि कैसे उनकी सहभागिता को और बढ़ाया जाए ताकि हर समय संपूर्ण पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके।
- (V) आयोग ने राजनैतिक दलों से यह भी आग्रह किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा में सुधार लाना सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। हमने निर्वाचन और गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए उनसे सुझाव मांगे थे। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पूर्ण पारदर्शिता चाहता है और उसके पास लोगों और अन्य हितधारकों से छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आयोग अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपने हितधारकों से सर्वदा सुझाव प्राप्त करता रहेगा।
- (VI) आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि आयोग प्रतिबद्ध है और यह सभी दलों और समूहों से समान दूरी बनाए रखता है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका कोई प्रिय नहीं है। साथ ही ईसीआई द्वारा इस समान दूरी बनाए रखने से वैश्विक समुदाय की नजरों में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है।

8. आयोग पहले ही **16** मार्च, **2017** को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता, **31** मार्च, **2017** को छद्म ईवीएम प्रदर्शन (यथा अभिकथित वास्तविक मतदान में नहीं) के दौरान कथित वीवीपीएटी घटना पर, **07** अप्रैल, **2017** को भिंड(मध्य प्रदेश) पर तथा साथ ही **11** अप्रैल, **2017** को धौलपुर(राजस्थान) में ईवीएम के संबंध में विस्तृत प्रेस रिलीज जारी कर चुका है। भिंड में एक गलत धारणा बना दी गई कि बैलेट यूनिट पर दबाए गए किसी भी बटन के लिए वीवीपीएटी द्वारा केवल एक ही प्रतीक मुद्रित हो रहा था। आयोग की संपूर्ण जांच पर यह स्पष्ट हो गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक **31.03.2017** को हुए डेमो, न कि वास्तविक मतदान, के दौरान चार बटन दबाए गए थे और प्रत्येक बार सही तदनु रूप प्रतीक ही मुद्रित हो रहा था। दिनांक **12** मई, **2017** को सभी हितधारकों को ईवीएम पर 'स्टेटस पेपर' परिचालित किया गया जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी के संबंध

में विभिन्न पहलुओं की सूचना और जागरूकता हेतु व्याख्या की गई थी। (ये सभी दस्तावेज ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)।

9. महाराष्ट्र और अन्यत्र हाल ही में हुए नगर-पालिका निर्वाचनों के दौरान ईवीएम की अभिकथित छेड़छाड़ की कुछ शिकायतों ने भी ईसीआई की ईवीएम के संबंध में गलत धारणा बनाई। यह देखा गया कि बहुतांश के मस्तिष्क में ईसीआई के क्षेत्राधिकार के संबंध में दुविधा है। हम इस अवसर पर एक बार पुनः यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईसीआई स्थानीय निकाय के निर्वाचनों के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह देश में राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही विभिन्न प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं अंगीकार की जाती हैं। स्थानीय निकाय के ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के निर्वाचनों का संचालन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग, एक पृथक संवैधानिक प्राधिकरण, द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, मुम्बई नगर निगम निर्वाचनों में किसी अभ्यर्थी द्वारा शून्य मत प्राप्त करने की विशेष शिकायत आईसी, महाराष्ट्र द्वारा पूर्णतः असत्य पाई गई है।
10. आयोग ईवीएम की सत्यनिष्ठा, उसके साथ छेड़छाड़ न कर सकने और उसकी विश्वसनीयता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। आयोग के आत्मविश्वास का आधार विस्तृत तकनीकी और प्रशासनिक प्रोटोकॉल तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षोपाय हैं जो हमारी ईवीएम और वीवीपीएटी की विनिर्माण, परिवहन, भंडारण, मतदान और मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से बचाव करते हैं। फिर भी, आयोग सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करता है कि किस प्रकार से हमारी ईवीएम और वीवीपीएटी की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता में और अधिक सुधार लाया जा सके। आयोग ईवीएम प्रचालन के संबंध में संदेह की छाया की भी अनुमति नहीं देगा।
11. आयोग उन सभी महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता है जो कि पिछले दो महीनों में समय-समय पर उठाए गए हैं:
 - क) ईसीआई-ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अपने-आप में एकमात्र ऐसी मशीन है और ये मतदान के दौरान किसी भी समय इंटरनेट और/या किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती हैं। अतः, इसमें हैकिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईसीआई-ईवीएम में किसी प्रकार का फ्रीक्वेंसी(आवृत्ति) रिसीवर या वायरलेस के लिए डाटा डीकोडर नहीं होता है और इसलिए यह वायरलेस द्वारा कोई भी कोडेड सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः बाहरी हार्डवेयर वायरलेस, वाई-फाई या ब्लूटूथ युक्ति के माध्यम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ये मशीनें सर्वदा ईसीआई और इसके निर्वाचन प्राधिकारियों के संरक्षण में होती हैं।
 - ख) विनिर्माण स्तर पर छेड़छाड़ को खारिज किया जाता है क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के संबंध में सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है। इसके अतिरिक्त मशीनों को वर्ष 1989 से शुरू करके विभिन्न वर्षों में विनिर्मित किया गया है। विनिर्माण के पश्चात ईसीआई द्वारा ईवीएमों को राज्यों के अंदर राज्यों तथा जिलों में भेजा जाता है। इतने वर्षों पहले से विनिर्माता इस स्थिति में नहीं थे कि वह ये जान पाते कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से कौन सा अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ेगा और बैलेट यूनिट पर अभ्यर्थियों का क्या क्रम होगा और इसलिए विनिर्माण स्तर पर पूर्वनिर्धारित तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
 - ग) कई बटन दबाकर ट्रोजन हॉर्स को सक्रिय करके परिणामों को बदला नहीं जा सकता है क्योंकि:
 1. ट्रोजन हॉर्स को माइक्रोकंट्रोलर चिप में बर्न हुई भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम के सॉफ्टवेयर कोड में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि चिप केवल एक बार ही प्रोग्रामेबल है।
 2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए कड़े सुरक्षा उपायों ने ईवीएम तक पहुंच बनाना असंभव कर दिया है जो ट्रोजन हॉर्स डालने के लिए माइक्रो-कंट्रोलर को बदलने की कोशिश करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है।
 3. कंट्रोल यूनिट एक समय में केवल एक ही बटन दबाने के लिए बैलेट यूनिट को सक्रिय करती है। बैलेट यूनिट पर किसी भी अतिरिक्त बटन के दबाए जाने पर कंट्रोल यूनिट जड़ हो जाती है और इसमें कितने भी बटन दबाने या गुप्त कोडों द्वारा सिगनल भेजना असंभव हो जाता है।

जब एक बार सीयू में बैलेट बटन को दबाया जाता है, तो सीयू मत के रजिस्टर करने में बीयू को सक्षम बना देता है और बीयू में बटन दबाने की प्रतीक्षा करता है। इस अवधि के दौरान, जब तक कि उस मत को डालने की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक सीयू के सभी बटन निष्क्रिय हो जाते हैं। जब बैलेट यूनिट में मतदाता द्वारा एक बार कोई भी बटन(अभ्यर्थी मत बटन) दबा दिया जाता है तो बैलेट यूनिट मुख्य सूचना गतिशील रूप से एन्क्रिप्टेड फार्म में कन्ट्रोल यूनिट को भेज देती है। कन्ट्रोल यूनिट को डाटा मिल जाता है और वह साथ ही बीयू में लाल एलईडी लैम्प को चमकाकर उसके प्राप्त होने की सूचना देता है। सीयू में मतदान के समर्थ होने के पश्चात सीयू द्वारा केवल “पहले की प्रेस” का संकेत स्वीकार किया जाता है। इसके बाद, यदि मतदाता दूसरे बटनों को दबाता जाता है तो उसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन बाद में दबाए गए बटनों हेतु सीयू और बीयू के बीच कोई संचार नहीं होगा और ना ही बीयू कोई भी दबाए गए बटन को रजिस्टर करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक सीयू का प्रयोग करते हुए बैलेट योग्य केवल एक ही वैध बटन(पहला की प्रेस) को दबाया जाएगा। जब एक बार वैध बटन(मतदान प्रक्रिया) दबा दिया जाता है तो जब तक कोई अन्य मतपत्र सक्षम बटन दबा नहीं देता, तब तक कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच कोई गतिविधि नहीं होगी। अतः देश में प्रयोग की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तथाकथित “ सिक्वेन्स की प्रेस” द्वारा कोई भी दुर्भावनापूर्ण संकेत भेजना असंभव है।

घ) ईसीआई-ईवीएम में भौतिक रूप से कोई छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती और न ही उनके घटकों को बिना किसी के नोटिस किए बदला जा सकता है। स्पष्ट किया जा चुका है कि एम1 और एम2 जैसी पिछली जेनरेशन की मशीनों में माइक्रो कन्ट्रोलर/चिप एवं मदरबोर्ड बदलना मजबूत प्रशासन और तकनीकी सुरक्षा के कारण सम्भव नहीं है। साथ ही 2013 के बाद तैयार की गई नई एम 3 ईवीएम में छेड़-छाड़ का पता लगाने(टेम्पर डिटेक्शन) और स्वयं निदान(सेल्फ डायग्नोस्टिक) जैसी अतिरिक्त विशेषताएं हैं। किसी भी क्षण कोई भी जब मशीन को खोलने की कोशिश करता है तो छेड़-छाड़ का पता लगाने वाली विशेषता, ईवीएम को निष्क्रिय कर देती है। स्वयं निदान(सेल्फ डायग्नोस्टिक) विशेषता जब भी ईवीएम चालू होता है उसकी पूर्ण रूप से जांच करती है। इसके हार्डवेयर या साफ्टवेयर में कोई भी बदलाव हो तो तुरंत पता चल जाएगा। एम 3 जेनरेशन के लिए 13.95 लाख बीयू और 9.30 लाख सीयू के उत्पादन के लिए निर्माताओं को 1900 करोड़ रूपए पहले से ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ 16.15 लाख वीवीपीएटी भी उत्पादनाधीन है और इनके लिए 3173 करोड़ रूपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

ङ) नवीनतम तकनीकी विशेषताएं ईसीआई-ईवीएम को छेड़-छाड़ रोधक बनाती है। ईसीआई-ईवीएम को अन्यो के बीच 100% छेड़-छाड़ रोधक मशीन बनाने के लिए इसमें कुछ सबसे अत्याधुनिक तकनीकी विशेषताओं जैसे कि एक बारगी प्रोग्रामेबल(ओटीपी) माइक्रोकंट्रोलर, की कोडों की डायनामिक कोडिंग प्रत्येक की(key) को दबाने की तारीख एवं समय मुद्रांकन, उन्नत एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी और ईवीएम लॉजिस्टिक को संभालने के लिए ईवीएम-ट्रैकिंग साफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एम3 ईवीएम के नए मॉडल में छेड़-छाड़ का पता लगाने और स्वयं निदान जैसी अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं। ओटीपी साफ्टवेयर का अभिप्राय है कि ईसीआई की सुरक्षित अभिरक्षा के अंतर्गत ईवीएम में डाले गए प्रोग्राम के साथ कोई भी किसी प्रकार का बदलाव, उसे पुनः लिखना या पुनः पढ़ना संभव नहीं है। यह ईवीएम को छेड़छाड़ रोधक बनाता है। यदि कोई अनधिकृत प्रयास करता है तो मशीन निष्क्रिय हो जाएगी।

च.) कुछ लोगों द्वारा फैलायी गई गलत सूचना और लगाए गए आरोपों के प्रतिकूल, भारत निर्वाचन आयोग विदेश में तैयार की गई किसी भी ईवीएम का प्रयोग नहीं करता। ईवीएम दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड; बैंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; हैदराबाद द्वारा देश में ही उत्पादित की जाती हैं। साफ्टवेयर प्रोग्राम कोड इन दोनों कंपनियों द्वारा इन-हाउस तैयार किए गए हैं, न कि आउटसोर्स किए गए हैं और इन्हें भारत निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा

अनुमोदित किया गया है और सर्वोच्च निष्ठा को बनाए रखने के लिए यह फैक्ट्री लेवल पर कड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं के अधीन होता है।

सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को विनिर्माताओं द्वारा मशीन कोड में बदल दिया जाता है और फिर बाहर के चिप विनिर्माता को दिया जाता है। (हमारे देश में सेमी-कंडक्टर को निर्मित करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है)। प्रत्येक माइक्रोचिप के पास एक पहचान संख्या होती है जो मेमोरी में एम्बेडेड होती है और उन पर निर्माताओं के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। अतः उनकी प्रतिस्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि माइक्रोचिपों को विनिर्माताओं के पास वापस भेजा जाता है जहां सॉफ्टवेयर के संबंध में इनका कार्यात्मक परीक्षण होता है। माइक्रोचिप को बदलने की किसी भी प्रकार की कोशिश का पता लगाया जा सकता है और इससे ईवीएम निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार विद्यमान प्रोग्राम में कुछ भी बदलाव करने और उसमें कुछ नया डालने का पता चल जाता है। इससे ईवीएम कार्य करना बंद कर देता है क्योंकि ईवीएम छेड़-छाड़ रोधी है। अब प्रौद्योगिकी प्रगतियों के कारण बीईएल और ईसीआईएल में ही चिप पर सॉफ्टवेयर की फ्यूजिंग हो सकती है और इसलिए एम3 में बीईएल और ईसीआईएल में ही चिप में सॉफ्टवेयर को फ्यूज कर दिया जाता है।

छ) ईवीएम में परिवहन के दौरान अथवा भंडारण के स्थान पर किसी भी प्रकार का जोड़-तोड़ करने की संभावना नहीं है। जिला मुख्यालयों में ईवीएम को उपयुक्त सुरक्षा में दोहरी ताला प्रणाली (दोहरी सुरक्षा) में रखा जाता है। इनकी सुरक्षा की समय-समय पर जांच की जाती है। निर्वाचन प्राधिकारी स्ट्रांग रूम को नहीं खोलते और वे केवल नियमित जांच करते हैं कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है और इस पर सही ढंग से ताला लगा है या नहीं। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति किसी भी समय ईवीएमों तक नहीं पहुंच सकता। जब निर्वाचन नहीं हो रहे होते तो जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी ईवीएम का वार्षिक वास्तविक सत्यापन किया जाता है और रिपोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, स्ट्रांग रूम सदैव राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही खोले जाते हैं।

ज) ईसीआई – ईवीएम की भिन्न स्तरों पर जांच-पड़ताल की जाती है जिस कारण इनमें कोई हेर-फेर अथवा छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती है, यह जांच एवं निगरानी निम्न प्रकार से होती है:-

- **प्रथम स्तरीय जांच:** प्रत्येक ईवीएम की तकनीकी एवं भौतिक जांच करने के पश्चात बीईएल/ईसीआईएल के प्राधिकृत इंजीनियर अवयवों की मौलिकता को प्रमाणित करते हैं। यह जांच एवं सत्यापन राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है। खराब ईवीएम को फैक्ट्री में लौटा दिया जाता है। प्रथम स्तरीय जांच के हॉल को स्वच्छ रखा जाता है, जिसमें सीमित प्रवेश होता है और इसके अन्दर कोई कैमरा, मोबाइल फोन या जासूसी पेन ले जाने की अनुमति नहीं होती। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रत्येक ईवीएम पर बनावटी मतदान किया जाता है। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा यादृच्छिक रूप से चुनी गई पांच प्रतिशत ईवीएम पर कम से कम एक हजार छद्म मत डाले जाते हैं और उन्हें इसका परिणाम दर्शाया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियो बनाई जाती है।
- **अभ्यर्थियों की सेटिंग:** एक अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय अपनाया जाता है वह अभ्यर्थियों की सेटिंग करने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतिम रूप देने के बाद अपनाई जाती है। बैलेट यूनिट में एक बैलेट पेपर डाला जाता है और उस पर गुलाबी रंग के पेपर की सील लगा दी जाती है। इस प्रकार इस स्थिति में बैलेट यूनिट सील हो जाती है। जिन स्थानों पर वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाता है उनमें उस स्थिति पर प्रत्येक वीवीपीएटी में अभ्यर्थियों के प्रतीकों

को भी डाल दिया जाता है। एक बार फिर प्रत्येक ईवीएम पर बनावटी मतदान किया जाता है और पांच प्रतिशत ईवीएम को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और उनपर एक हजार बनावटी मत डाले जाते हैं।

- **यादृच्छिकीकरण:** किसी निर्वाचन क्षेत्र को ईवीएम आवंटित करते समय दो बार इनका यादृच्छिकीकरण किया जाता है और मतदान केन्द्रों पर भी ऐसा ही किया जाता है ताकि किसी केन्द्र को नियत अथवा निर्धारित आवंटन की आशंका से बचा जा सके। इस प्रकार यह प्रशंसनीय है कि पहले यादृच्छिकीकरण तक, जब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता यह किसी को भी नहीं पता होता कि मतदान पेपर पर किसका नाम किस क्रम में है, इसके पश्चात मतदान पेपर पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रम में रखे जाते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय और राज्य दलों के, इसके पश्चात अन्य पंजीकृत दलों के और बाद में निर्दलीय अभ्यर्थियों एवं नोटा को स्थान दिया जाता है। इस प्रकार बैलेट यूनिट पर किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी की क्रम संख्या अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में किसी राजनैतिक दल के अभ्यर्थी की क्रम संख्या नियत अथवा पूर्व निर्धारित नहीं की जाती है। इस प्रकार से अभ्यर्थियों के नामों की सेटिंग होने तक कोई भी, यहां तक कि रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा आयोग भी, यह नहीं जान सकता कि किस बैलेट यूनिट पर कौन सा बटन किस अभ्यर्थी को दिया जाएगा।
 - मतदान के दिन भी, अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के सामने मतदान प्रारंभ होने से पहले कम से कम **50** मत बनावटी रूप से डाले जाते हैं।
 - मतदान के पश्चात, ईवीएम सील कर दी जाती है और इस सील पर मतदान अभिकर्ता भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र से ईवीएम स्ट्रांग रूम तक मतदान में प्रयुक्त ईवीएम के परिवहन के दौरान वहां तक जा सकते हैं।
 - **स्ट्रांग रूम:** मतदान के पश्चात, जहां ईवीएम को भंडारित किया जाता है वहां अभ्यर्थी अथवा उनके प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम पर अपनी-अपनी सील लगा सकते हैं और स्ट्रांग रूम के सामने ठहर भी सकते हैं। सीसीटीवी सुविधाओं सहित, इन स्ट्रांग रूमों की निगरानी बहुस्तरीय आधार पर **24x7** घंटे की जाती है।
 - **मतगणना केन्द्र:** मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को संपूर्ण सुरक्षा और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में मतदान केन्द्रों पर लाया जाता है और इन पर लगी सीलों की विशिष्ट पहचान, सीयू पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरों को मतदान गणना आरंभ होने से पहले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को प्रदर्शित किया जाता है।
- 12** ईवीएम को छेड़छाड़ रहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सुस्पष्ट संपूर्ण जांच और सुरक्षा उपायों के उपर्युक्त अनुक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट है कि न तो ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है न ही ईसीआई की ईवीएम की पद्धति में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही न तो खराब मशीन अथवा न ही ऐसी मशीन, जो भारत निर्वाचन आयोग की नहीं है, उसे कभी किसी भी स्थान पर शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसी किसी भी मशीन का पता तुरंत चल जाएगा क्योंकि उपरोक्त प्रक्रिया के कारण बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का मिलान नहीं हो पाएगा।

13. कुछ लोग तर्क देते हैं कि विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप संघ ईवीएम क्यों नहीं अपनाते और कुछ देशों ने इसका प्रयोग क्यों बंद कर दिया है?

भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम विश्व भर की किसी भी ईवीएम से कहीं श्रेष्ठ हैं। नीदरलैंड, आयरलैंड और जर्मनी में प्रयुक्त ईवीएम का निर्माण निजी कंपनियां करती हैं और उनका कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जाता, जबकि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम में स्वतंत्र टीईसी अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित थर्ड पार्टी एनटिटी द्वारा एक कड़ा सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जाता है। नीदरलैंड की मशीनों में मतदान के डाटा का अंतरण एक सीडी के माध्यम से किया जाता है, जबकि हमारे देश की ईवीएम में ऐसा नहीं किया जाता और डाटा मशीन के अंदर ही भंडारित रहता है, जिसे कभी भी अंतरित नहीं किया जा सकता। इन देशों में आरंभ से लेकर अंत तक किसी प्रकार की प्रशासनिक और सुरक्षात्मक प्रणाली तथा विधिक ढांचे का अभाव है। अंत में उनकी ईवीएम की परीक्षा नहीं की जा सकती।

समय-समय पर यह मुद्दा उठाया जाता है कि कई बाह्य देशों ने मतदान मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया है तो भारत में इनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है?

- पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति होने से निर्वाचन प्रबंधन निकायों, पेशेवरों, विशेषज्ञों तथा कार्यकर्ताओं (विशेषकर ग्रीन एक्टिविस्ट) ने मतपत्र को हाथ से चिह्नित करने के नुकसान से बचाने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में कागजरहित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रियाओं पर विचार किया। प्रौद्योगिकी तथा निर्वाचन प्रबंधन का मिलन अरसे पहले **1892** में हुआ था, जब कागजी मतपत्र का लम्बे समय तक प्रयोग किए जाने के पश्चात् न्यूयार्क में पहली 'लीवर वोटिंग मशीनों' का प्रयोग किया गया था। **1960** में, यूएसए में पंच कार्ड मशीनों को शुरू किया गया तथा वहां **1975** में पहला ईवीएम शुरू किया गया। तब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में काफी उन्नति हुई है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के प्रकार:

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तीन प्रकार की हो सकती है:

- i. निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों पर रखी डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीनें
- ii. इंटरनेट वोटिंग
 - रिमोट ऑनलाइन वोटिंग
 - निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों पर
- iii. ऑप्टिकल स्कैनर
 - स्टैण्ड अलोन (अपने किस्म की अनूठी)
 - परिणामों के केन्द्रीयकृत गणना के लिए नेटवर्क की गई

भारत में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम स्टैण्ड अलोन डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीनें पहली प्रकार के अंतर्गत आती हैं जिनमें किसी प्रकार की नेटवर्क कनेक्टिविटी की संभावना नहीं है जहां मतदाता निर्वाचन के दिन निर्दिष्ट मतदान केन्द्र पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई सख्त प्रशासनिक सुरक्षा में अपना वोट डालते हैं।

हालांकि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम भी डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीन हैं किन्तु भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम डायरेक्ट रिकार्डिंग या इंटरनेट वोटिंग या ऑप्टिकल स्कैनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली किसी भी

ईवीएम से पूरी तरह से भिन्न है। भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम की जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रयुक्त डीआरएम के साथ विश्लेषणात्मक तुलना करने पर जो स्पष्ट हुआ वह निम्नलिखित है:

नीदरलैंड

नीदरलैंड में **1990-2007** के मध्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का प्रयोग किया गया। वोटिंग मशीनों का निर्माण एक निजी डच-कंपनी एनईडीएपी (Nederlandse Apparaten Fabrik NV) द्वारा किया गया था। वर्ष **2006** में सरकार ने वोटिंग मशीनों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने का आदेश दिया। एनईडीएपी मशीनों की सुरक्षा तथा विश्वसनीय विशेषताओं की समीक्षा करने के लिए दो स्वतंत्र आयोग, द वोटिंग मशीन डिजीजन-मेकिंग कमीशन तथा इलेक्शन प्रोसेस एडवायजरी कमीशन (ईपीएसी) की स्थापना क्रमशः **19** दिसम्बर, 2006 तथा **18** जनवरी, 2007 को भी गई थी।

दोनों आयोगों की टिप्पणियों के अनुसरण में, एनईडीएपी मशीनों तथा इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित वोटिंग को निम्नलिखित कारणों से **2007** में बंद कर दिया गया:-

- नीदरलैंड के इंटीरियर और किंगडम रिलेशन मंत्रालय (एसओआईकेआर) को एनईडीएपी के बारे में ज्ञान का अभाव था जिसकी वजह से निर्वाचनों के संचालन के लिए अधिकारियों को बाहरी कार्यकताओं पर निर्भर रहना पड़ता था।
- प्रौद्योगिकी वेंडर निर्णय प्रक्रिया के भाग बन गए और मंत्रालय प्रभावकारी पर्यवेक्षण करने की स्थिति में नहीं था।
- एप्लाइड साइन्टिफिक रिसर्च के लिए डच संगठन (Togpast Natuur Wetenschappelijk Onderzoek, TNO) ने इन मशीनों को प्रमाणित किया और इनकी जांच की तथा इन्हें “आउटडेटिड स्टैन्डर्ड” वाला कहा जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी खतरों से सुरक्षित नहीं थी।
- इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण और जांच रिपोर्टों को सावर्जनिक नहीं किया गया जिससे स्वतंत्र विशेषज्ञों को विश्लेषण का सत्यापन करने से वंचित रखा गया।
- विधि ढांचा, विशेषतौर से आवश्यक सुरक्षा अपेक्षाएं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की विशेषताओं से निपटने के लिए अपर्याप्त था।

(नीदरलैंड में इलेक्ट्रॉनिक मतदान पर व्यापक रिपोर्ट के लिए संपर्क करे:

<https://www.ndi.org/sites/default/files/5netherlands.pdf>)

जर्मनी:

जर्मनी में एनईडीएपी द्वारा निर्मित-ई मतदान मशीनों का प्रयोग इनके आलोचना में आने से पूर्व **2005-2009** के बीच किया गया था और अंत में इन्हें बंद कर दिया गया। द फेडरल कंस्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ जर्मनी ने वर्ष **2009** में एनईडीएपी मशीनों के प्रयोग को निम्नलिखित कारणों से बन्द करने का आदेश दिया।

- एनईडीएपी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के प्रयोग ने निर्वाचनों की सार्वजनिक प्रकृति, (मूल विधि के अनुच्छेद **20.1** और **20.2** के संयोजन में अनुच्छेद **38**) के उस सिद्धांत का उल्लंघन किया जिसकी यह अपेक्षा है कि जब तक अन्य संवैधानिक हित किसी अपवाद को न्यायोचित न ठहराये, निर्वाचनों में सभी आवश्यक चरण सार्वजनिक परीक्षण के अधीन हैं।

- इसने यह भी स्पष्ट किया कि “नागरिकों के लिए निर्वाचन क्रिया में आवश्यक सोपानों की जांच करना और बिना किसी विशिष्ट विशेषज्ञ की जानकारी से परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए”

((निम्नलिखित संपर्क में न्याय निर्णय देखें: http://www.bundesverfassungsgrieht.de/shared_docs/Entscheidungen/En/2009/03/cs200903032bvc000307en.html;jessionid=FEA71E86E2CEE0#oFF7AAAC90572279C.2cid383))

आयरलैंड

आयरलैंड में एनईडीएजी मशीनों का प्रयोग **2002-2004** के बीच किया गया था। इन मशीनों के प्रयोग पर प्रश्न चिह्न लगाया गया जिसकी वजह से दो स्वतंत्र आयोग स्थापित किए गए। दोनों आयोगों ने चुनी गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली की गुप्तता, यथाथता और परीक्षण पर यह निष्कर्ष निकाला कि आयरलैंड निर्वाचनों में प्रयुक्त एनईडीएजी की मशीनों का प्रयोग निम्नलिखित आधारों पर नहीं किया जा सकता:-

- अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय संरक्षण
- सीडी के प्रयोग द्वारा डाटा का असुरक्षित अंतरण
- एकल प्रत्यापित निकाय द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यापक स्वतंत्र जांच, सत्यापन और प्रमाणीकरण का अभाव ,
- सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों की भौतिक सुरक्षा में असंगतियां
- मतदान उपस्कर के भंडारण, परिवहन, व्यवस्थापन, प्रयोग और निपटान की तुलना में स्पष्ट नीति निर्देशन का अभाव।
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान युक्तियों की पहचान, स्थिति और संचलन को रिकार्ड करने के लिए व्यापक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर का अभाव।

(संपर्क देखें:- <http://www.unic.pt/emages/stories/publicacoes1/oolIndex.pdf>;
<http://www.unic.pt/images/stories/publicacoes1/part%200%20Index.pdf>)

संयुक्त राज्य अमेरीका

2000 में यूएसए के राष्ट्रपतीय निर्वाचनों में मतदान प्रणाली पर विवाद के बाद, मतदान प्रणाली की समीक्षा की गयी (इस्टीन, गोल्डस्मिथ और टर्नर, 2012:185) तदनुसार प्रत्यक्ष रिकार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक (डीआर(ई)) प्रणालियाँ (जैसे प्रीमीयर इलेक्शन साल्यूशन, जिसे साधारणतया डाइबोल्ड कहा जाता है, द्वारा विकसित व्यापक रूप से प्रयुक्त एक्यूवोर टीएस) शुरु की गयीं। डीआरई प्रणाली तीन बेसिक अंतरापृष्ठों में से एक (पुशबटन, टचस्क्रीन या डायल)” का प्रयोग करती है जिसके माध्यम से “मतदाता अपने मतों को सीधा कंप्यूटर मिमोरी में रिकार्ड करता है। मतदाताओं के विकल्पों को मिमोरी कारट्रिज, डिसकेट या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से डीआरई में स्टोर किया जाता है..... कुछ डीआरई को वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) प्रिंटर्स के साथ सुसज्जित किया जा सकता है”। वर्तमान में, यूएसए में **27** राज्यों में डायरेक्ट रिकार्डिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से **15** राज्यों में पेपर आडिट ट्रेल का प्रयोग किया जाता है। अन्य मतदान प्रणालियों में शामिल हैं: ऑप्टिकल स्कैन पेपर बैलेट प्रणालियों, बैलेट मार्किंग डिवाइसेज और पंच कार्ड बैलेट।

(संपर्क करें: <http://www.verifiedvoting.org/resorces/voting-rquipment>)

अन्य देश

ब्राजील में, निर्वाचनों में उपयोग की जाने वाली मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्सिस कहा जाता है, जो स्वतंत्र प्रत्यक्ष इलेक्ट्रानिक रिकार्डिंग प्रणालियां हैं। वेनेजुएला में एसएटीआईएस (स्मार्ट मेटिक आडिटेबल इलेक्शन सिस्टमस) मतदान मशीनों का उपयोग किया जाता है जिन्हें पूरे देश में वर्ष 2004 में पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया गया था। (स्टीव गोल्डस्मिथ एवं टर्नर 2012: 185)

भारत:

भारतीय इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीने विश्व के अन्य भागों में प्रयोग की जा रही ई-वोटिंग मशीनों की तुलना में निम्नलिखित कारणों से अद्वितीय है:

- भा.नि.आ. की ईवीएम बेजोड़ और नेटवर्क रहित मशीनें हैं।
- भा.नि.आ. की ईवीएम का निर्माण दो सार्वजनिक क्षेत्रके उपक्रमों में किया जाता है अर्थात् ईसीआईएल और बीईएल, न कि अन्य देशों में प्रयोग की जा रही मशीनों की तरह, जिनका निर्माण पूरी तरह से निजी कंपनियां करती हैं। इस प्रकार से ईसीआई की ईवीएमस के निर्णय लेने अथवा इसके निर्माण में निजी व्यापारियों अथवा तकनीकी विक्रेताओं का निहित स्वार्थ होने का कोई अंदेशा या अवसर नहीं रह जाता।
- ईसीआई की ईवीएमस की संपूर्ण जांच प्रक्रिया करने के पश्चात् एक स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा इन्हे बार-बार सफलतापूर्वक प्रमाणित और सत्यापित किया जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एसटीक्यूसी, एक अधिकृत तृतीय पक्ष कंपनी, निर्माताओं द्वारा तैयार ईसीआई की मशीनों का मानकीकरण एवं सत्यापन करती है लेकिन नीदरलैंड में प्रयोग की जाने वाली मशीनों में ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती।
- ईसीआई की ईवीएमस में डाटा मशीनों के अन्दर ही स्टोर होता है और इसे किसी भी डिवाइस से अंतरित नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य देशों में जहां डीआरएस में मतदान का डाटा रिकार्ड किया जाता है और इसे सीडी आदि के द्वारा अंतरित किया जाता है।
- आयोग द्वारा ईसीआई की मशीनों के प्रयोग, भण्डारण और परिवहन ट्रेकिंग के लिए संपूर्ण सुरक्षा नियम और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं; अन्य देशों में जहां एनईएपी मशीनों का उपयोग किया जाता है ऐसा नहीं किया गया है
- नीदरलैंड के एमआईकेआर में ऐसा नहीं किया जाता है किन्तु, आयोग को प्रतिष्ठित प्रोफेसरो वाली एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का संपूर्ण सहयोग मिलता है।
- प्रत्येक ईवीएम पर एक विशिष्ट नम्बर होता है जिसे ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्वाचन आयोग के डाटाबेस में रिकार्ड किया जाता है। ईवीएम की इस संख्या की डाटाबेस के सामने कभी भी पुनर्जांच की जा सकती है।
- इन मशीनों में प्रयोग किए गए सॉफ्टवेयर की एक ही बार प्रोग्रामिंग (ओटीपी) की जा सकती है, जिसे एक बार सेट करने के पश्चात इसमें दोबारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- देशभर में विधिक ढांचे के अनुसार ईसीआई की ईवीएमस को सदैव कड़ी, एक समान, उच्च स्तर की प्रशासनिक और भौतिक सुरक्षा में रखा जाता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61ए के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएमस का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। देशभर में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी कई बार विभिन्न निर्णयों में

ईवीएम के प्रयोग का अनुमोदन किया है और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 में ईसीआई की ईवीएम को इसकी पारदर्शिता और अद्भुत क्षमता के कारण इसे “राष्ट्र का गौरव” घोषित किया था।

- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी तकनीक प्रारंभ की है ताकि सार्वजनिक (लोक) परख सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2019 तक आयोग पूरे देश में वीवीपीएटी लागू करने के प्रति कटिबद्ध है। इस प्रकार डाले गए प्रत्येक मत की शतप्रतिशत मतदाता प्रामाणिकता और संपरीक्षणता हो जाएगी, जबकि इसके विपरित एनईडीएपी मशीनों में ऐसी सुविधा के अभाव में जर्मनी के उच्चतम न्यायालय ने इन मशीनों के उपयोग को असंवैधानिक कहते हुए इनके उपयोग की अनुमति नहीं दी थी जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने देश में निर्वाचनों के आयोजन में ईवीएम के प्रयोग को वैध माना है।
- अतः ईसीआई की इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की किसी अन्य स्थान पर उपयोग की जा रही मशीनों से तुलना करना अनुचित है।

आयोग ने हमेशा एक स्पष्ट एवं पारदर्शी रूप से कार्य किया है और हमेशा अपनी प्रक्रियाओं के लिए प्रश्नों, संदेहों तथा रचनात्मक एवं शिष्ट आलोचनाओं का स्वागत किया है ताकि हम निर्वाचन प्रक्रियाओं की और अधिक मजबूत बना सकें।

12 मई, 2017 को हुई राजनीतिक दल की बैठक के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों को एक खुली चुनौती देने का वचन दिया था ताकि वे यह प्रदर्शित कर सकें कि पांच राज्यों में प्रयोग किए गए ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी या तकनीकी तथा प्रशासनिक सुरक्षा प्रबंधों के होते हुए भी ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने अब, 3 जून, 2017 से सभी राजनीतिक दलों को खुली चुनौती देने का प्रस्ताव किया है।

चुनौती की रूपरेखा:

भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय तथा राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नामित उन व्यक्तियों जिन्होंने निर्वाचन लड़ा है और यह दावा किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व के अधीन रखी गई मशीनों तथा फरवरी-मार्च, 2017 में आयोजित पांच राज्यों नामतः पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में हाल ही में संचालित विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में प्रयोग की गई मशीनों में छेड़-छाड़ की गई थी या यह कि ईसीआई के तकनीकी तथा प्रशासनिक सुरक्षा प्रबंधों के अधीन भी इनमें छेड़-छाड़ की जा सकती है, को ईसीआई मुख्यालय में आयोग द्वारा निर्धारित विद्यमान प्रशासनिक तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल की रूपरेखा के भीतर अपने दावों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करता है।

आयोग की ईवीएम चुनौती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

चुनौती कथन-I:-

यह कि पांच राज्यों के साधारण निर्वाचन, 2017 में उपयोग की गई ईवीएम में मतदान के पश्चात ईवीएम में स्टोर किए गए परिणामों में हेर-फेर करते हुए किसी अभ्यर्थी/राजनीतिक दल विशेष का पक्ष लेने के लिए छेड़छाड़ की गई थी।

अतः, चुनौतीदाता को इन निर्वाचनों में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट के परिणामों में वैसे ही परिदृश्य में परिवर्तन करना होगा जैसा कि मतदान के पश्चात अर्थात् स्ट्रांग रूम में स्टोर की हुई अवधि के दौरान अथवा मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहती हैं, यह निम्नलिखित के माध्यम से करना होगा,

क: सीयू अथवा बीयू अथवा दोनों पर बटनों के कम्बिनेशन को दबाते हुए, अथवा

ख: एक्सटर्नल वायरलैस/ब्लूटूथ/मोबाइल फोन इत्यादि के द्वारा सीयू अथवा बीयू अथवा दोनों के कम्युनिकेशन के द्वारा

चुनौती कथन-1।

यह कि पांच राज्यों के साधारण निर्वाचनों में प्रयोग की गई ईवीएम में मतदान के दिन से पूर्व या मतदान के दिन छेड़छोड़ की गई थी। अतः, दावाकर्ताओं को इन्हीं मतदानों में प्रयुक्त ईवीएम के परिणामों को ठीक उन्हीं परिदृश्यों में परिवर्तित करना होगा जैसा मतदान से पहले, अर्थात् स्ट्रांग रूम में भंडारण के दौरान अथवा मतदान के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग के तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षात्मक उपायों के अंतर्गत ईवीएम रखी जाती है। यह निम्नलिखित के माध्यम से करना होगा:

क. सीयू या बीयू या दोनों के बटनों के कम्बिनेशन को दबाते हुए, अथवा

ख. एक्सटर्नल वायरलैस/ब्लूटूथ/मोबाइल फोन इत्यादि के द्वारा सीयू/अथवा बीयू या दोनों के कम्युनिकेशन के द्वारा।

चुनौती । तथा चुनौती ॥ के लिए सामान्य प्रक्रिया

1. ईवीएम चुनौती केवल उन राष्ट्रीय तथा राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के भाग लेने के लिए ही खुला है जिन्होंने पांच राज्यों अर्थात् गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों में भाग लिया था।

2. प्रत्येक राष्ट्रीय तथा राज्यीय मान्यता प्राप्त दल जो भाग लेना चाहते हैं, वे ईवीएम चुनौती में भाग लेने के लिए अधिकतम केवल **3** व्यक्तियों को ही नामित कर सकते हैं। प्रत्येक दल अधिकतम **3** प्राधिकृत व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नामों के बारे में सूचित कर सकते हैं, जो गोदाम से चुनी हुई ईवीएम को नई दिल्ली स्थित आयोग लाने के दौरान अपनी लागत पर जाना चाहते हैं।

3. वे राजनीतिक दल जो ईवीएम चुनौती में, भाग लेने को इच्छुक हैं, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग को **26 मई, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक ई-मेल (evmchallenge@eci.gov.in)** के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपनी अभिरूचि की पुष्टि करनी होगी, जिसमें निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार नामित सदस्यों के विवरण अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को ईवीएम चुनौती में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जो भारत निर्वाचन आयोग को **26 मई, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक** अपनी सहमति भेज देंगे। राजनीतिक दलों का उत्तर, पार्टी के आधिकारिक पत्र-शीर्ष पर अवश्य होना चाहिए जो संबंधित राजनीतिक

दल के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्कैन किया जाएगा तथा उपर्युक्त ई-मेल आईडी पर मेल किया जाना होगा।

4. इसके अतिरिक्त, यदि किसी राजनीतिक दल के नामित, जिन्हें चुनौती के लिए तारीख समय स्लॉट आबंटित किया गया है, पूर्व सूचना या अनुमोदन के निर्धारित समय एवं स्थान पर रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं तो उन्हें ईवीएम चुनौती में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक राजनीतिक दल, को निर्वाचन कराए गए पांच राज्यों में से किन्हीं 4 मतदान केन्द्रों से उनकी पसंद की अधिकतम 4 ईवीएम का चयन करने की अनुमति दी जाएगी। उदाहरणार्थ; 4 मतदान केन्द्रों से अधिकतम 4 ईवीएम चुनी जानी है, किसी राज्य में या तो एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से या बहुल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से या पांच राज्यों में किसी भी एक राज्य से। यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन याचिका में शामिल कोई भी ईवीएम या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा सीलबंद की गई कोई भी ईवीएम इस ईवीएम चुनौती का हिस्सा नहीं होगी। यदि कोई राजनीतिक दल किसी ईवीएम का उल्लेख नहीं करना चाहता है, परन्तु वह चाहता है कि भारत निर्वाचन आयोग अपनी पसंद की कोई भी ईवीएम उपलब्ध कराए, तो उन्हें **26 मई, 2017 तक** इसकी सूचना आयोग को देनी चाहिए।

6. ईवीएम की पसंद के बारे में सूचना **26 मई, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे तक** निर्धारित प्रोफार्मा में ई-मेल (evmchallenge@eci.gov.in) करनी होगी।

7. चुनी हुई ईवीएमों को कंट्रोल यूनितों (सीयू), बैलेट यूनितों (बीयू), (एक अथवा अधिक जैसी प्रयुक्त की गई) और वीवीपीएटी (जहां भी प्रयुक्त हों) सहित, स्ट्रांग रूम/गोदामों को खोलने एवं ईवीएम को लाने, ले जाने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार प्रोटोकॉल के अनुपालन में, जैसा है, जहां है के आधार पर, नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग में लाया जाएगा।

8. राज्य स्तर पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, यदि वे चाहें इसके लिए स्वतंत्र है कि जहां ईवीएमों को वर्तमान में रखा गया है, वे जिला/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के ईवीएम स्ट्रांग रूमों को खोलने के समय एवं सील बंद ट्रंको में भारत निर्वाचन आयोग में मशीनों को लाने के दौरान विभिन्न सीलों को (प्रोटोकॉल के अनुसार) देखने के लिए मशीनों का निरीक्षण कर सकते हैं।

9. चूँकि, इन मशीनों का प्रयोग हाल ही में सम्पन्न निर्वाचनों में किया गया था और मतगणना के बाद उन्हें गोदामों में रखा गया था, अतः इन मशीनों में अभी भी अभ्यर्थियों की सैटिंग और उक्त निर्वाचन का परिणाम भी होगा।

10. पिछले निर्वाचनों में मतगणना के दौरान मशीनों में रिकार्ड परिणाम पेपर पर भी उपलब्ध हो सकता है, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी इत्यदि के लिए डाले गए मतों तथा डाले गए कुल मतों का बयौरा भी शामिल होंगे।

11. भाग लेने वाले प्रत्येक राजनैतिक दल को चुनौती कथन **1** और **2** को सिद्ध करने के लिए **4** घंटे का चुनौती स्लॉट प्रदान किया जाएगा जिसमें उनके रजिस्ट्रीकृत नामित व्यक्ति को उनके द्वारा चुनी हुई ईवीएम (सीयू+बीयू+वीवीपीएटी यदि लगी हुई है तो) तक पहुंच प्रदान की जाएगी। यदि चुनी गई पहली ईवीएम उसके लाने-ले जाने में निष्क्रिय हो गई है तो चुनौती के लिए दूसरी ईवीएम को प्रयोग करने दिया जाएगा। तथापि, यदि

कोई राजनैतिक दल अधिक समय लेना चाहता है तो वह आयोग को लिखित में अनुरोध करेगा जो मामले की मेरिट और तर्कसंगतता की मांग के अनुसार निर्णय लेगा।

12. नामित व्यक्ति, यदि ऐसा चाहे तो, चुनौती हेतु कार्यवाही से पूर्व सीयू में पहले से स्टोर किए गए पिछले निर्वाचन के परिणाम की जांच कर सकता है और यह सत्यापित भी कर सकता है कि यह सीयू से परिणामों की घोषणा के ईसीआई प्रोटोकॉल के अनुसार उपर्युक्त मद संख्या **10** में ईसीआई द्वारा दिए परिणाम के अनुसार है। यह कदम वैकल्पिक है और यदि वे इसका विकल्प चुनने के लिए लिखित में अनुरोध करना चाहें तो यह रिकॉर्ड किया जाएगा।

13. भाग लेने वाले राजनैतिक दलों के नामित व्यक्तियों को चुनौती को सिद्ध करने के लिए, चुनौती ईवीएम पर निम्नलिखित उपायों की अनुमति होगी:

क. सीयू अथवा बीयू या दोनों पर किसी भी क्रम के बटनों को दबाना।

ख. किसी भी बाहरी वायलैस/ब्लूटूथ/मोबाइल फोन युक्ति/ट्रांसमीटर का प्रयोग।

14. चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा दबाए गए सभी बटनों को बटन दबाने की वास्तविक प्रक्रिया से पूर्व उसके संबंध में घोषणा करनी होगी और मतदान में “चुनौती साबित करने” के लिए “संचालन की सही प्रक्रिया के लिखित रिकॉर्ड” रखने के लिए इन्हें ईसीआई काउंटर स्टाफ द्वारा मैनुअल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि चुनौतीदाता मतदान के दौरान मोबाइल या ब्लूटूथ का प्रयोग करना चाहता है तो उसे निर्वाचन प्राधिकारियों को सूचित करना चाहिए और इसे भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से तब सुसंगत है, यदि चुनौती देने वाला व्यक्ति कोई छद्म मतदान या पूर्ण मतदान बटन दबाकर या मोबाइल फोन/ब्लूटूथ द्वारा चुनौती कथन को सिद्ध करने के लिए छेड़छाड़ का प्रयास करने के दौरान ऐसा करना चाहता है।

15. सभी ‘की प्रैसेस’ को ईसीआई काउंटर स्टाफ तथा रिकार्डिंग कैमरा के स्पष्ट और निर्बाध दृश्य में किया जाएगा और विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रेसर से ऐसा किया जाएगा ताकि चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा अंगुलियों का प्रयोग करते हुए किसी प्रकार के भ्रम या अस्पष्टता की स्थिति से बचा जा सके।

16. चुनौती II के दौरान ईवीएम को खोला जा सकता है और केवल आंखों से देखकर ही इसका निरीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम स्तरीय जांच के समय ही इसकी अनुमति दी जाती है। किन्तु, चुनौती I के दौरान इन्हें खोला नहीं जा सकता क्योंकि वास्तविक मतदान परिदृश्य की अवधि के दौरान मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना होने तक इन्हे सील बंद रखा जाता है।

17. चुनौती की अवधि के दौरान, किसी लिखित प्रतिवेदन अथवा किसी विवाद या निर्वचन संबंधी मामले में, भारत निर्वाचन आयोग के प्रभारी-अधिकारी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

18. ईवीएम चुनौती का आयोजन निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में **03/06/2017** से किया जाएगा।

चुनौती परिणाम:

1. चुनौती I के अंतर्गत चुनौतीदाता को “ असफल ” माना जाएगा, यदि:

- (क) चुनौतीदाता द्वारा छेड़छाड़ करने का प्रयास करते समय ही ईवीएम कार्य करना बंद कर देती है या खराब हो जाती है। (कारण: ईसीआई की ईवीएम इस प्रकार डिजाइन की गई हैं कि वे कोई गलत परिणाम देने के बजाय स्वतः “एरर मोड में” चली जाती हैं यदि इसमें किसी प्रकार का अप्राधिकृत अथवा अनचाहा तकनीकी कार्य किया जाए।
- (ख) ईवीएम प्रचालनाधीन रहती है और प्रयास करने के पश्चात भी कंट्रोलिंग यूनिट पर दर्शाया गया परिणाम वैसा ही है जैसा कि चुने गए सीयू पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया था। (क्लीयर बटन दबाने से पहले)
- (ग) चुनौतीदाता ईवीएम की चुनौती के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में से, यदि किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है।
- (घ) चुनौतीदाता वर्तमान चुनौती से अपना नाम वापस ले लेता है।

2. चुनौती II के अंतर्गत चुनौतीदाता को “ असफल ” माना जाएगा, यदि:

- (क) चुनौतीदाता द्वारा छेड़-छाड़ करने का प्रयास करते समय ही ईवीएम कार्य करना बंद कर देती है या खराब हो जाती है। (कारण: ईसीआई की ईवीएम इस प्रकार डिजाइन की गई हैं कि वे कोई गलत परिणाम देने के बजाय स्वतः “एरर मोड में” चली जाती हैं यदि इसमें किसी प्रकार का अप्राधिकृत अथवा अनचाहा तकनीकी कार्य किया जाए।
- (ख) ईवीएम प्रचालनाधीन रहती है और पहले से स्टोर किए गए परिणाम को हटाने के बाद, चुनौतीदाता द्वारा उस पर छद्म मतदान या संपूर्ण मतदान किया जाता है और इसके बाद भी हाथ से डाले गए मतों (भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी द्वारा) का योग वही होता है जो उक्त छद्म/पूर्ण मतदान के पश्चात, चुनी हुई कंट्रोल यूनिट पर स्टोर किया गया था।
- (ग) चुनौतीदाता ईवीएम की चुनौती के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में से यदि किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है।
- (घ) चुनौतीदाता वर्तमान चुनौती से अपना नाम वापस ले लेता है।

10. कतिपय ना कहने वाले व्यक्तियों ने मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग को या तो ईवीएम में छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें मशीन अपने साथ ले जाने अथवा उसका आंतरिक सर्किट आदि बदलने की अनुमति देनी चाहिए। यह कहना वैसा ही है जैसे कि उन्हें एक नई मशीन बनाने की अनुमति दे दी जाए और वे हमारे सिस्टम में अपनी नई ईवीएम का सिस्टम सेट कर दें। इसके अतिरिक्त, यह सामान्य ज्ञान है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के “ इंटरनल सर्किट में परिवर्तन करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा पूरी डिवाइस में परिवर्तन करना” इसके पश्चात यह डिवाइस मूल डिवाइस जैसी कैसे रह सकती है। एक सामान्य व्यक्ति भी यह समझता है कि एक ईसीआई की ईवीएम से भिन्न अथवा ऐसी ईवीएम जिसका इंटरनल सर्किट भिन्न है, वह निश्चित रूप से एक भिन्न मशीन होगी अथवा भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम जैसी दिखने वाली नजर आएगी, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह गारंटी कभी नहीं दी

जा सकती कि यह सटीक परिणाम देगी। हमारे प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ऐसे परिदृश्य से पूरी तरह से इंकार किया जाता है और इस कारण से यह इस प्रस्ताव की चुनौती शामिल नहीं किया गया।

II. आयोग, देश के सभी नागरिकों, मतदाताओं, राजनैतिक दलों और अन्य सभी हितधारकों का आभार प्रकट करता है कि पिछले **67** वर्षों से उनका आयोग के प्रति दृढ़ और अटूट विश्वास बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, आयोग सभी राजनैतिक दलों का भी धन्यवाद अदा करता है जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में अपना निरंतर भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है, जैसा कि **12 मई, 2017** को सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों ने वार्तालाप के दौरान व्यक्त किया गया था। आयोग देश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता है कि वह निर्वाचनों की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता कायम रखने में और अपने देश के निर्वाचन लोकतंत्र में लोगों की आस्था और विश्वास को और मजबूत करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं देश के नागरिकों को पुनः आश्वासन देता हूँ कि भारत की निर्वाचन प्रक्रिया की निष्ठा में लोगों का कभी विश्वास डगमगाने नहीं दिया जाएगा। आयोग की इच्छा है कि देश के सभी नागरिक, हितधारक हमारी निर्वाचन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक, सतर्क और सावधान रहें ताकि आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन को और सुदृढ़ किया जा सके।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक